न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 13 / 2021

विनोद कुमार मित्तल, खिड़की मोहल्ला,उपरला बाजार, भुसावर जिला भरतपुर ।

बनाम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 19.02.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट विनोद कुमार मित्तल, खिड़की मोहल्ला,उपरला बाजार, भुसावर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2020 राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर से सूचना चाही गई थी । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर को हस्तांतरित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर के पत्रांक 696 दिनांक 27.01.2021 के संलग्न प्राप्त हुई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 130 दिनांक 08.02.2021 के द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से उनके पत्र कमांक / 626 दिनांक 18.02.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है । उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब पत्र कमांक 626 दिनांक 18.02.2021 से अवगत कराया है कि रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) नगर पालिका नदबई ने उनके पत्रांक 08 दिनांक 07.01.2021 से अपीलार्थी को [illegible] डाक उपलब्ध करादी गई है । पत्र के अवलोकन से यह जाहिर [illegible] अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। [illegible] भरतपुर ने अपने जबाब की ताईद में रिटर्निंग अधिकारी [illegible] पालिका नदबई के पत्र कमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:18:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

Registered

558 दिनांक 17.02.2021 एवं 08 दिनांक 07.01.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। स्पष्ट है कि रेस्पो0 ने अपीलांट को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:18:38 IST
Reason: SelfAttested